रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092025-266148 CG-DL-E-14092025-266148

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2025/भाद्र 21, 1947 No. 245] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2025/BHADRA 21, 1947

> विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

> > संकल्प

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2025

फा. सं. ई.-12011/1/2024-रा.भा.—भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, उसके कार्य आदि इस प्रकार होंगे:

1. गठन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री

अध्यक्ष

गैर सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित (4 संसद सदस्य)

1	श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम (लोक सभा)	सदस्य
2	श्री बलभद्र माझी (लोक सभा)	सदस्य
3	डॉ. संगीता बलवंत (राज्य सभा)	सदस्य
1	श्री संभाष बराला (राज्य संभा)	सदस्य

6076 GI/2025 (1)

संसदीय रा	जभाषा समिति द्वारा नामित (2 संसद सदस्य)	
5	श्री उज्जवल रमण सिंह (लोक सभा)	सदस्य
6	श्री तंगेला उदय श्रीनिवास (लोक सभा)	सदस्य
केन्द्रीय सन्ि	वेवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित (1 सदस्य)	
7	श्रीमती रेणु सैनी	सदस्य
राष्ट्र भाषा	प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित (1 सदस्य)	
8	डॉ. महेश बंसीधर अग्रवाल	सदस्य
विज्ञान और	र प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामित (4 सदस्य)	
9	श्री शास्त्री विपन खज्रिया	सदस्य
10	डॉ. अरुण कुमार मिश्र	सदस्य
11	डॉ. नीलम सिंह	सदस्य
12	डॉ. ललित बिहारी गोस्वामी	सदस्य
राजभाषा ी	वेभाग द्वारा नामित (3 सदस्य)	
13	श्री रमेश चन्द्र	सदस्य
14	श्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज	सदस्य
15	श्री सिद्धार्थ महेर	सदस्य
सरकारी स	दस्य	
16	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
17	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
18	सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
19	सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	सदस्य
20	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
21	अपर सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
22	वित्तीय सलाहकार, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग	सदस्य
23	वित्तीय सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
24	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
25	संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
26	संयुक्त सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
27	संयुक्त सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग	सदस्य
28	भारत के महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून	सदस्य
29	निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता	सदस्य
30	संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं रा.भा.), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य-सचिव

2. समिति के कार्य

समिति का कार्य संबंधित विभागों को संविधान में प्रतिस्थापित राजभाषा के प्रावधनों संबंधी विभिन्न मामलों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के कार्यान्वयन में तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सलाह देना होगा।

III कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अधीन, तीन वर्ष का होगा:-

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे;
- (ख) तीन वर्ष की अवधि के बीच में रिक्त हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले व्यक्ति से भरा जाएगा और ऐसा व्यक्ति समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा;
- (ग) विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

IV. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठक आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

∨. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय जापन सं. 11/20034/4/86-रा.भा. (ए-2) में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नीति आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

ए. धनलक्ष्मी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd September, 2025

F. No. E-12011/1/2024-0.L.—The Government of India has decided to constitute the Hindi Advisory Committee for the Ministry of Science and Technology. The composition of the Committee and its functions shall be as under:-

I Composition

Minister of Science and Technology

Chairman

Secretary

Non-official members

Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs (4 members)

1.	Smt. Poonamben Hematbhai Maadam (Lok Sabha)	Member
2.	Sh. Balabhadra Majhi (Lok Sabha)	Member
3.	Dr. Sangeeta Balwant (Rajya Sabha)	Member
4.	Sh. Subhash Barala (Rajya Sabha)	Member

Members of Parliament nominated by Committee of Parliament on Official Language (2 members)

5.	Sh. Ujjwal Raman Singh (Lok Sabha)	Member
6.	Sh. Tangella Uday Srinivas (Lok Sabha)	Member

Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad (1 member)

7.	Smt. Renu Saini	Memb	ber

Nominated by Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Wardha (1 Member)

8. Dr. Mahesh Bansidhar Agrawal	Member
---------------------------------	--------

Nominated by the Ministry of Science & Technology (4 Members)

9.	Sh. Shastri Vipan Khajuria	Member
10.	Dr. Arun Kumar Mishr	Member
11.	Dr. Neelam Singh	Member
12.	Dr. Lalit Bihari Goswami	Member

Nominated by the Department of Official Language (3 Members)

13. Sh. Ramesh Chandra	Member
14. Sh. Lakshmikant Bharadwaj	Member
15 Sh Siddharth Maher	Member

Official Members

16.	Secretary, Department of Science & Technology	Member
17.	Secretary, Deptt. of Official Language	Member
18.	Secretary, Deptt. Of Biotechnology	Member
19.	Secretary, Deptt. Of Scientific & Industrial Research	Member
20.	Additional Secretary & Financial Advisor, Deptt. of Science & Technology	Member
21.	Additional Secretary, Deptt. of Science & Technology	Member
22.	Financial Advisor, Deptt. of Scientific & Industrial Research	Member
23.	Financial Advisor, Deptt. Of Biotechnology	Member
24.	Joint Secretary, Deptt. of Official Language	Member
25.	Joint Secretary, Deptt. of Science & Technology	Member
26.	Joint Secretary, Deptt. of Biotechnology	Member
27.	Joint Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research	Member
28.	Surveyor General of India, Survey of India, Dehradun	Member
29.	Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata	Member
30.	Joint Secretary (Admin & OL), Deptt. of Science & Technology	Member

II Functions of the Committee

The functions of the Committee will be to advise the concerned Departments in matters relating to the provisions of the Official Languages enshrined in the Constitution, decisions of Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the Department of the Official Language, Ministry of Home Affairs for the progressive use of Hindi in official work.

III Tenure

The tenure of members of the committee will ordinarily be three years from the date of its composition, provided that:-

- (A) A member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be a member of Parliament;
- (B) Any midterm vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a member of the Committee for the remaining term of three years;
- (C) In special circumstances the tenure of the Committee may be prolonged/ cut short by the Ministry of Science and Technology.

IV General

The Headquarters of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other place also, if so required.

V Travelling and other allowances

The non-official members of the Committee will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Committee as per the guidelines contained in O.M. No. 11/20034/4/86O.L. (A-2) dated 22nd January, 1987 of Department of Official Language and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Members of the Committee, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Niti Aayog, All Ministries and Departments of the Government of India. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A.DHANLAKSHMI, Jt. Secy.